पत्रांक—15/नीति नि०—07—03/2022 का०—3475

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक—15·6·23

विषयः— **सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिये जानेवाले उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार को क्रमशः मैट्रिक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष समाप्त की गयी मान्यता की तिथि पुनर्निर्धारित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक—6063 दिनांक—03.11.2003 के द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या—8/आर० 303/84 का० 541 दिनांक—11.01.1991, जो हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार को क्रमशः मैट्रिक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष स्थायी मान्यता देने से सम्बन्धित है, को झारखण्ड राज्य में लागू रहने का निदेश संसूचित किया गया था।

पुनः विभागीय पत्रांक—1863 दिनांक—26.02.2015 के द्वारा हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिये जानेवाली उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार की क्रमशः मैट्रिक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष स्थायी मान्यता को दिनांक—26.06.2014 के प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही यह निदेश संसूचित किया गया है कि हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उक्त विषयक किसी भी डिग्री/प्रमाण—पत्र को अबसे किसी भी नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए मान्यता नहीं दी जायेगी।

उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक—4786 दिनांक—01.06.2015 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक—26.06.2014 के बाद किसी भी सरकारी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं है, चाहे उक्त प्रमाण पत्र दिनांक—26.06.2014 के पूर्व ही क्यों नहीं निर्गत किये गये हों।

2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार की क्रमशः मैट्रिक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष मान्यता के संबंध में दायर W.P.(C.) No.-3115/2015 विजय कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा समरूप वादों में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक—10.05.2022 को न्यायादेश पारित किया गया है। उक्त न्यायादेश का प्रासंगिक अंश निम्नवत् हैः—

"21. This Court, therefore, is of the considered view that the order/judgment as has been passed by the Full Bench of Patna High Court, is required to be followed on the ground of similarity of facts and more particularly the entire facts rest upon Govt. Order which was issued by the erstwhile State of Bihar of the time when State was unified i.e. vide order dated 11.01.1991. Further, the State of Jharkhand also adopted the said decision dated 11.01.1991 by issuing order on 03.11.2003.

22. In view thereof, this Court held that the degree of 'Praveshika' 'Sahitya Bhushan' and 'Sahitya Alankar has got equivalence to to Matriculation, Intermediate and Graduation, as decided vide order dated 11.01.1991 by the General Administration Department, Government of Bihar, which was adopted by the State of Jharkhand vide order dated 03.11.2003, and as sucyh, the validity of order dated 11.01.1991 will be effective up-to 26.02.2015.

23. The degrees issued by Hindi Vidyapith, Deoghar, are held to be valid up-to 26.02.2015.

It is clarified that no benefit is to be given on the basis of degrees issued by the institution in question, Hindi Vidyapith, Deoghar, after 26.02.2015.

3. W.P.(C.) No.-3115/2015 तथा समरूप वादों में दिनांक–10.05.2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालनार्थ विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता के द्वारा निम्न मंतव्य दिया गया है:–

"The Division Bench of the Hon'ble Jharkhand High Court in W.P.S No. 5295/2017 has already held that degree of "Praveshika" "Sahitya Bhusan" and "Sahitya Alankar" are valid upto 26.2.2015. The same is also the view of the Hon'ble Patna High Court which has been confirmed by the Hon'ble Supreme Court which is at page 144 & 142/C.

The Government of Jharkhand has already issued the circular on 26.2.2015 that the degree of "Praveshika" "Sahitya Bhusan and "Sahitya Alankar" issued by the Deoghar Vidyapeeth will not be valid thereafter.

In view of the above and in view of the decision of the Hon'ble High Court the degree issued prior to 26.2.2015 is valid and degree issued after 26.2.2015 is not valid. However, persons who have been appointed prior to 26.2.2015 are entitled for promotion etc on the basis of the degree issued prior to 26.2.2015. Appointments etc. can also be made after 26.2.2015 if the degree has been obtained prior to 26.2.2015.

The Division Bench of the Hon'ble Jharkhand High Court has also commented upon the promotional right and other benefits based upon the degree issued by Deoghar Vidyapeeth prior to 26.2.2015."

4. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P.(C.) No.-3115/2015 विजय कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा समरूप वादों में दिनांक–10.05.2022 को पारित न्यायादेश एवं विद्वान महाधिवक्ता के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कार्मिक विभागीय पत्रांक–1863 दिनांक–26.02.2015 एवं उक्त का स्पष्टीकरण पत्रांक–4786 दिनांक–01.06.2015 को निरस्त करते हुए हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उपाधियों की मान्यता के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया है:–

(क) दिनांक–26.02.2015 एवं इसके पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा निर्गत विषयांकित उपाधियाँ नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए मान्य रहेंगे।

(ख) दिनांक–26.02.2015 के पश्चात् हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा निर्गत विषयांकित उपाधियाँ नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए मान्य नहीं रहेंगे।

(ग) उपर्युक्त उपकंडिका–(क) एवं (ख) में अंकित निर्णय दिनांक–26.02.2015 से प्रभावी रहेंगे।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय को अपने अधीनस्थ प्राधिकारों/कार्यालयों को परिचारित करते हुए उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

15/6/2023

(प्रवीण कुमार टोप्पो)
सरकार के सचिव।

3475
15.06.23